



2026:AHC:29948

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 2009 सन् 2026

शिवशंकर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: अतुल कुमार यादव
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार यादव और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री शशि प्रकाश राय को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में इस आधार पर एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि याचिकाकर्ता के पास प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 (v) के तहत एक मूल आवेदन दायर करके केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करके एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय है।
3. उक्त तर्क के समर्थन में, एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, एआईआर **1997** एससी **1125** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।
4. चूंकि याचिकाकर्ता रेलवे के खिलाफ उपाय की मांग कर रहा है और एक तकनीशियन के रूप में तैनात है, इसलिए प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता कानूनी स्थिति पर विवाद नहीं कर सके।
5. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित आवेदन दायर करके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"